न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर

17-912

505

कार्यालय कलेक्टर
जिला -उमरिया (म.प्र.)

10 रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

1. ललन सिंह
2. राजेन्द्र सिंह
दोनों आत्मज स्व. जगन्नाथ सिंह निवासी केम्प उमरिया
तहसील बांधवगढ़, जिला उमरिया, म.प्र.

— — — — — — —निगराकार

बनाम

R-401-II/2012

1. कमल भान सिंह
2. सूर्यभान सिंह (मृतक)
दोनों आत्मज स्व. जगन्नाथ सिंह निवासी केम्प उमरिया
तहसील बांधवगढ़, जिला उमरिया म.प्र.

— — — — — —गैर–निगराकार

राजस्व निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.का.मा.1959
श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय जिला उमरिया म.प्र. के राजस्व प्रकरण कमांक 74/निग./2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2011 के विरूद्ध

मान्यवर,

इस निगरानी के तथ्य निम्नलिखित हैं :–

1– यह कि निगराकारगण मूल न्यायालय तहसीलदार बांधवगढ़ के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 7/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2006 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ रा.प्र.क. 22/अपील/2007–08 प्रस्तुत किये थे, परंतु अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा अपील म्याद बाह्य मानकर दिनांक 15.03.2010 को अपील निरस्त की गयी थी। जिस आदेश के विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उमरिया म.प्र. के यहाँ रा.प्र.क. 74/निग./2010–11 प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिनांक 30.11.2011 को निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा गया है, जिन आदेशों से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत किया जा रहा है।

निगरानी के आधार

1– यह कि, दोनों अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानूनन एवं वाक्यातन दुरूस्त नहीं हैं।

2– यह कि, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में यह स्थापित हो गया था कि निगराकारगणों की ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-401-दो/2012 जिला-उमरिया

ललन सिंह व अन्य विरूद्ध कमलभान सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2301-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री पुष्प्रेन्द्र कुमार मिश्रा एवं अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से अभिभाषक श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित। 3. यह निगरानी अपर कलेक्टर उमरिया, जिला- उमरिया के प्रकरण क्रमांक- 74/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2011 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 28.01.2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय	

23/01/19

आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

23/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य